झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
एवम्
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, ज्ञानदीप परिसर, बड़गावाँ, नामकुम, राँची
(छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांग)
झारखण्ड, राँची।

विज्ञप्ति संख्या - 63/2019

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2019-20
कक्षा VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए

एतद् द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा VIII में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र– 2019–20 का आयोजन दिनांक– 24.11.2019 को किया जाना हैं। इस परीक्षा हेतु आवेदन Online स्वीकार किये जायेगें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा राष्ट्रीय साधन सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMS) के अंतर्गत चयनित छात्र–छात्राओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग IX से वर्ग XII तक छात्रवृत्ति 12000/– रूपया प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी।

2.पात्रताः– झारखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत् वैसे छात्र–छात्रा राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा–छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2019–20 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जो :– (i) शैक्षणिक सत्र 2018–19 में 55 प्रतिशत अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हो एवं सत्र 2019–20 में अष्टम् वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत् हो। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी)। (ii) जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो। (iii) केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय, जहाँ रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, के छात्र–छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे।

3.आरक्षणः–इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आरक्षण, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमान्य आरक्षण नियमावली के अनुसार देय होगा।

4.परीक्षा शुल्कः– परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार है, जो कि Online ही लिये जाएगे।
(क)सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों हेतु – 200/– (दो सौ रूपये)।
(ख)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति – 100/– (एक सौ रूपये)।

5.परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रमः– राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र वर्ग VII एवं VIII के स्तर के होंगे। यह परीक्षा OMR Sheet पर ली जायेगी।

Online Application Schedule	Date and Time of Exam	Test Type	Number of Question	Full Marks	Qualifying Marks
Student Registration 21.10.2019 to 11.11.2019	24.11.2019 11.00 - 02.00 बजे (30 mnt. extra for visually challenged)	Paper - I Mental Ability Test (MAT)	90 (MCQ)	90 (1 mark for each question)	40% for General, BC-I, BC-II and EWS 32% for SC, ST
DEO Approval Last date 13.11.2019		Paper- II Scholastic Aptitude Test (SAT)	90 (MCQ)	90 (1 mark for each question)	

6. आवेदन पत्र Online **कैसे भरेंः**– (i) Registration of Student: Step I - सर्वप्रथम छात्र स्वयं को परिषद् के वेबसाईट पर Register करेंगे। Step II - Registration के उपरांत अपने Application No. का इस्तेमाल करते हुए Online Fee Payment करेंगे। Step III - Fee Payment करने के उपरांत आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर अपने विद्यालय प्रधान के पास जमा करेंगे। Step IV - विद्यालय प्रधान भरे हुए आवेदन पत्र को अभिप्रमाणित करते हुए वांछित दस्तावेज के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक– 12.11.2019 तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। Step V - जिला शिक्षा पदाधिकारी साक्ष्य के आधार पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन को Approve या Reject करेंगे। जिसकी अंतिम तिथि– 13.11.2019 होगी। Step VI- परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र परिषद् के वेबसाईट से दिनांक– 18.11.2019 से download कर सकेंगे।

7. छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र–छात्राओं से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृति सत्र (वर्ग IX, X, XI एवं XII) के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के सम्पर्क में रहेंगे) लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रति वर्ष **National Scholarship Portal** पर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा, एवं वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेंगे। इसके लिए परिषद् जिम्मेवार नहीं होगा।

8. बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्रों को आधार संख्या का होना एवं आधार संख्या बैंक खाते के साथ **Seeded** होना आवश्यक है। छात्र के आधार संख्या नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वे छात्र का आधार बनवानें में सहयोग करेंगे।

9. असुविधा की स्थिति में:– किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची झारखण्ड के टेलीफोन नं0– **7485093439** या छात्रवृत्ति कोषांग के **E-mail Id- ntse.jac@gmail.com** से सम्पर्क किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- नोडल पदाधिकारी,
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JAC/SCH/NMMS/79/19-SECY/472/19 Dt. - 19.10.2019
D.O.P. - 20.10.2019